# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार(आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 28/2011

| प्रार्थीगण | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| स्व. पनीया उर्फ पना वल्द सरदारा, जाति–बिश्नोई के कायम मुकाम<br>1 वरींगा वल्द पना<br>2 भगवाना वल्द पना<br>जातियान–बिश्नोई, साकिनान डांगरा, तहसील व जिला–सांचौर | | 1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सांचौर<br>2 ग्राम पंचायत धानता जरिये सरपंच ग्राम पंचायत धानता<br>3 राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, जालोर |

**प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम**

उपस्थिति :– तारीख रजु :– **30.12.2011**

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बाबुलाल पालड़िया उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बिश्नोई उपस्थित।
4. अप्रार्थी संख्या 3 बावजूद सूचना (तामील) अनुपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक :– 18.07.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा डांगरा में प्रार्थीगण के पुश्तैनी खातेदारी के खेत खसरा संख्या 158 रकबा 12 बीघा 02 बिस्वा, खसरा संख्या 159 रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 176 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा के आये हुए है जिसमें से एक रास्ता खसरा नंबर 173 नक्शा परिशिष्ट 'अ' में प्रदर्शित मार्क 'ए' से 'सी' गुजर रहा है। प्रार्थीगण के उक्त खेतों के नवीन खसरा संख्या 200 रकबा 1.55 हैक्टेयर, खसरा संख्या 201 रकबा 0.69 हैक्टेयर, खसरा संख्या 132 रकबा 1.48 हैक्टेयर, खसरा संख्या 133 रकबा 0.35 हैक्टेयर तजवीज हुए उक्त खेत प्रार्थीगण को अपने पिता पना उर्फ पनीया की मृत्यु के पश्चात उतराधिकारी के रूप में प्राप्त हुए। नवीन खेत खसरा संख्या 133, 132, 201 व 200 में से प्रथम सेटलमेंट की स्थिति के अनुसार रास्ता खसरा संख्या 173 नवीन खसरा संख्या 130 को नवीन नक्शा ट्रैस में नक्शा परिशिष्ट 'ब' में प्रदर्शित [illegible] से 'बी' के अनुसार करना था जहां उक्त रास्ता प्रथम सेटलमेंट से [illegible] मौके पर गुजर रहा है लेकिन द्वितीय सेटलमेंट के नवीन नक्शा ट्रैस की लेखनी में त्रुटि से नक्शा परिशिष्ट [illegible] प्रदर्शित मार्क 'सी' से 'बी' भूमि प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 200 व 201 की कृषि भूमि है परन्तु इसके बावजूद भी नक्शे में गलत तरमीम का अनुचित फायदा उठाते हुए अप्रार्थी संख्या 2 नरेगा की सड़क नवीन नक्शा ट्रैस परिशिष्ट 'ब' में मार्क 'सी' से 'बी' प्रार्थीगण के खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.08.14 11:57:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

खेत से निकालने पर उतारू है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण को अपने नवीन नक्शा ट्रैस परिशिष्ठ 'ब' में प्रदर्शित मार्क 'ए' से 'बी' रास्ता के भू–भाग पर ही नवीन खसरा संख्या 130 को तरमीम करवाने का विधिसम्मत हक होने से प्रार्थना–पत्र पेश है।

अन्त में प्रार्थीगण की ओर से निवेदन किया कि रास्ता खसरा संख्या 130 की नक्शा परिशिष्ठ 'ब' में प्रदर्शित मार्क 'सी' से 'बी' में की लेखनी त्रुटि को सुधारा जाकर नक्शा परिशिष्ठ 'ब' में मार्क 'ए' से 'बी' के बीच उक्त रास्ते को तरमीम किये जाने का कानुनी सलुक फरमावें।

प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को बाद कार्यालय टिप्पणी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर द्वारा जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बिश्नोई ने वकालतनामा व जवाब पेश किया गया।

हमने उभपक्षकारान् की बहस सुनी अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना–पत्र में तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि रास्ता खसरा संख्या 173 परिशिष्ट 'ब' में मार्क 'ए' से 'बी' के अनुसार द्वितीय सेटलमेंट मे तजवीज करना था जो रास्ता प्रथम सेटलमेंट से लगाकर आज दिन तक मौके पर गुजर रहा है लेकिन द्वितीय सेटलमेंट विभाग द्वारा नवीन नक्शा ट्रैस व लेखनी त्रुटि कर नक्शा परिशिष्ट 'ब' में मार्क 'सी' से 'बी' तजवीज कर दिया जहां कभी रास्ता अस्तित्व में नहीं था इस प्रकार उक्त रास्ता की तरमीम गलत होने से प्रदर्श नक्शा 'ब' में मार्क 'ए' से 'बी' के अनुसार तरमीम करने का आदेश फरमावें।

राज पैरोकार सांचौर द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी नक्शा 'अ' में प्रदर्शित 'ए' से 'बी' रास्ता मौके पर चलता है इस पर ग्राम पंचायत द्वारा ग्रेवल डाला गया है तथा मार्क 'ए' से 'सी' तक मौके पर किसी प्रकार का रास्ता नहीं चलता है प्रार्थीगण ने रास्ते की भूमि अपने खेत में मिला दी गई है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पौषणीय नहीं है, चुंकि उक्त सेटलमेंट रास्ता मार्क ए से बी रास्ता मौके पर न होकर उक्त आराजी कृषि भूमि के उपयोग में आ रही है। तथा पुराने रास्ते की भूमि को अपने खेत में मिला कर रास्ता मिटा दिया गया है।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने जवाब में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि जहां मौके पर रास्ता चलता है, [illegible] रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज है वहां से ग्रेवल सड़क का कार्य चल रहा है, [illegible] चुका है। तथा खसरा संख्या 130 रास्ता की भूमि है, तथा परिशिष्ट 'ब' में मार्क 'सी' [illegible] स्थगन है, इसी जगह रास्ता चलता है तथा रास्ता की भूमि पर ही सड़क कार्य किया [illegible]हा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.08.14 11:57:38 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभपक्षकारान् की बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली–भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र पना बनाम राजस्थान

Scanned with OKEN Scanner

राज्य जरिये तहसीलदार सांचौर व अन्य के विरूद्व अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत नक्शा पूर्व की आकृति को बदल कर नये नक्शे में प्रदर्श नक्शा 'अ' में मार्क ए से बी की बजाय सी से बी करने से उसके पुनः 'ए' से 'बी' की आकृति करने बाबत् पेश किया गया है, जो धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पौषणीय नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है।

## :– आदेश :–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पौषणीय नहीं होने से एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

(प्रमोद कुमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

निर्णय आज दिनांक 18.07.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.08.14 11:57:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner